



सत्यमेव जयते

कार्यालय

आयकर आयुक्त (छूट)

आयकर भवन 5, अशोक मार्ग, लखनऊ।

ट्रस्ट/संस्थान का नाम : स्वामी दयानन्द सरस्वती सुखानन्द केरियर पब्लिक स्कूल एजुकेशनल सोसायटी

पता : आन्धा आश्रम के पीछे, चन्द्रेश्वर नगर, ऋषिकेश, देहरादून (उत्तराखण्ड)

पैन : AAFTS6980G

आदेश तिथि : 13.10.2015

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G (5)(v) के अन्तर्गत अनुमोदन

आयकर अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत उपरोक्त ट्रस्ट का पंजीकरण दिनांक 01.04.2014 की प्रभावी तिथि से पंजीकरण संख्या (यू0आर0एन0) 3/3/15-16 के अन्तर्गत दिनांक 12.08.2015 को विद्वान आयकर आयुक्त, (छूट), लखनऊ के आदेश द्वारा किया गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि स्वामी दयानन्द सरस्वती सुखानन्द केरियर पब्लिक स्कूल एजुकेशनल सोसायटी, आन्धा आश्रम के पीछे, चन्द्रेश्वर नगर, ऋषिकेश, देहरादून (उत्तराखण्ड) को दिया गया दान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G (5)(vi) में दिये गये शर्तों को पूरा करने पर आयकर अधिनियम 1961 की 80G (V) के अन्तर्गत कटौती के लिए योग्य होगा।

2. यह अनुमोदन दिनांक 13.10.2015 की प्रभावी तिथि से लगातार उस अवधि तक वैध माना जाएगा जब तक विशेष रूप से इसे वापस ले लिया जाए।

(i) जिस निर्धारण अधिकारी के क्षेत्राधिकार में यह ट्रस्ट/संस्थान का केस आता है, उसके कार्यालय में आय एवं व्यय खाता प्राप्त रसीद एवं भुगतान का विवरण तथा तुलनपत्र (बैलेंस सीट) सहित आई.टी.आर.-7 में आयकर विवरणी प्रत्येक वर्ष दाखिल की जानी होगी।

(ii) आधोहस्ताक्षरी आयकर आयुक्त(छूट), लखनऊ के पूर्व अनुमोदन के बिना ट्रस्ट डीड/प्रलेख (Memorandum of Association) में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(iii) दानदाता को जारी की गई प्रत्येक रसीद में विशिष्ट पंजीकरण संख्या (यू.आर.एन.) एवं आदेश की तिथि अनिवार्य अंकित की जानी होगी।

धारा 80G (V)(vi) के प्रावधानों के अन्तर्गत 12ए, धारा 12ए(1)(बी) में पंजीकृत अथवा धारा 10(23C), 10(23C)(via) के अन्तर्गत अनुमोदित संस्थान/फंड, संसिीन में चलाई जा रही किसी भी व्यापारिक गतिविधि से संबंधित खाता बही का अलग से रख-रखाव करेंगे तथा ऐसी गतिविधि को आरंभ करने से संबंधित सूचना इस कार्यालय को एक माह भीतर अवश्य की जाएगी।



(पी0के0 बजाज)
आयकर आयुक्त (छूट),
लखनऊ।

फा0सं0: आ0आ0(छूट)/लख0/80जी/2015-16/795

दिनांक:- 13.10.2015

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त (छूट), रेंज गाज़ियाबाद।
2. आयकर उप/सहायक आयुक्त (छूट), सर्किल गाज़ियाबाद।
3. आयकर अधिकारी(छूट), देहरादून को इस आशय के साथ कि संस्था/न्यास को धारा 80जी के अन्तर्गत अनुमोदन मात्र ही संस्था/न्यास का धारा 80जी के लिए पर्याप्त नहीं है। संस्था/न्यास द्वारा दाखिल विवरणी तथा अन्य प्रपत्रों के आधार पर ही निर्धारण अधिकारी को इस परिणाम पर पहुंचना है कि संस्था/न्यास कटौती के लिए वांछित सभी शर्तों को पूरा करती है अथवा नहीं, यदि संस्था/न्यास भविष्य में कभी भी आयकर अधिनियम,1961 की धारा 80जी तक निहित सभी वांछित शर्तों को पूर्ण नहीं करती है तो इसे कटौती उपलब्ध नहीं होगी तथा धारा 80जी के अन्तर्गत उसका अनुमोदन रद्द करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।
- 4.आवेदक।



इजहार हुसैन

(इजहार हुसैन)
आयकर अधिकारी(मु0)
कार्यालय आयकर आयुक्त(छूट),
लखनऊ।

FOR REFERENCE